

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)
समस्तीपुर

कार्यालय आदेश संख्या - 43 /NG/2019/Mech(P)/SPJ

रेलवे बोर्ड के पत्रांक E(NG)I-2017/TR/24 (RBE No. 131/2017) दिनांक 22.09.2017 के परिप्रेक्ष्य में एवं मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)/सोनपुर, पूर्व मध्य रेल के पत्रांक का/283/यों/अंरे-अंमं/पार:स्थाना./प्रसलोपा-सलोपा/सोन./19 दिनांक 04.06.2019 के आलोक में श्री अभिजीत कुमार, सहायक लोको पायलट/नरकटियागंज, समस्तीपुर मंडल वेतन बैंड 5200-20200+1900 (पुराना) नया वेतन लेवल-2, का श्री प्रदीप कुमार कुशवाहा, सहायक लोको पायलट/सोनपुर मंडल वेतन बैंड 5200-20200+1900 (पुराना) नया वेतन लेवल-2, के साथ अन्तर मंडल पारस्परिक स्थानान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

रेलवे बोर्ड के पत्रांक E(NG)I-2017/TR/24 (RBE No. 65/2018) दिनांक 09.05.2018 में दिए गए निर्देशों के अनुसार पारस्परिक स्थानान्तरित होने वाले उपरोक्त दोनों कर्मचारियों को संबंधित मंडल द्वारा अविलम्ब (एक सप्ताह के अंदर) विरमित किया जाना है।

चूंकि उपरोक्त पारस्परिक स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर है, अतः स्थानान्तरण पर मिलने वाली सुविधा सीटीजी, पास, स्थानान्तरण अवकाश आदि देय नहीं होगा।

नियमानुसार दोनों कर्मचारी पुराने मंडल में दुबारा स्थानान्तरण हेतु अनुरोध नहीं करेंगे।

उपरोक्त मंडल रेल प्रबंधक/समस्तीपुर द्वारा अनुमोदित है।


(चन्द्र किशोर)

सहायक कार्मिक अधिकारी।।
कृते मंडल रेल प्रबन्धक (कार्मिक)
समस्तीपुर

सं0- का/111/283/यों(पावर)/सलोपा/पार.स्थां./अं.मं.-अं.रे./पार्ट IX/19 दिनांक .07.2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)/पूर्व मध्य रेल, सोनपुर -कृपया श्री प्रदीप कुमार कुशवाहा, सहायक लोको पायलट, को डीएआर/एसपीई/विज आदि मामले से मुक्त होने की स्थिति में उचित प्रमाण पत्र, फोटो एवं अंगूठे का निशान इत्यादि सत्यापन के साथ अविलम्ब विरमित कर इस मंडल को भेजें।
2. मयाइं. (पावर)/समस्तीपुर एवं सोनपुर मंडल
3. वमंविप्र./समस्तीपुर एवं सोनपुर मंडल
4. मुख्य क्रू नियंत्रक/संयुक्त क्रू लॉबी/नरकटियागंज - कृपया श्री अभिजीत कुमार/संयुक्त क्रू लॉबी, नरकटियागंज को सत्यापित फोटो, दो पहचान चिन्ह, अवकाश खाता, फुट प्लेटिंग का विवरण इत्यादि के साथ विरमित कर इस कार्यालय को भेजें, ताकि उन्हें सोनपुर मंडल में योगदान देने हेतु विरमित किया जा सके।
5. मंडल मंत्री/ईसीआरकेयू, ओबीसी एवं अजा-अजजा एशो0/सम0 मंडल।
6. संबंधित कर्मचारी
7. अभिलेख हेतु।


कृते मंडल रेल प्रबन्धक(कार्मिक)
समस्तीपुर